B.A.(Education),Part-1,Paper-ll,
Presented by Dr.Pallavi,
Topic- Wood's Despatch 1854

7.3 वुड का घोषणा पत्र-1854 (Wood's Despatch-1854):

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारत में प्रसार हो रहा था। वह व्यापार के साथ-साथ शासन भी करने लगी थी। भारत के अनेक प्रांतों पर उसने अधिकार कर लिया था। यह अलग बात है कि कम्पनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। ब्रिटिश सरकार हर 20 वर्ष बाद कम्पनी के लिए नया घोषणा पत्र जारी करती थी। 1833 के घोषणा पत्र के बाद अब 1853 में यह घोषणा पत्र जारी किया जाना था । ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा नीति के विषय में विचार करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की। इस समिति से सिफारिश के समय सर चार्ल्स वुड (Sir Charles Wood) कम्पनी के बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के प्रधान थे। उनोंने 19 जुलाई 1854 को 100 अनुच्छेदों वाली एक शिक्षा नीति की घोषणा की । इस शिक्षा नीति को बुड डिस्पैच कहा जाता है।

इस घोषणा पत्र को सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यह घोषणा पत्र सरकार की शिक्षा नीति के रूप में परिणत हो गया। वुड के इस घोषणा पत्र को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र (Magnacare) कहा जाता है । घोषणा पत्र जिसे सरकार ने स्वीकार किया, व्यवस्थित रूप से प्राथमिक स्तर की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की एक शिक्षा योजना थी । पहली बार इस सघन शिक्षा योजना ने शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों पर विचार किया है।

वुड डिस्पैच में ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर शिक्षा का भार सौंपा गया। बुड डिस्पैच में प्राची-प्रतीची विवाद का नाम लिया गया और संस्कृत एवं अरबी भाषा का महत्व समझा गया। मैकाले के पूर्वाग्रहों के विपरीत पाश्चात्य भाषा, ज्ञान, विज्ञान तथा साहित्य को भारतीयों के लिए उपयोगी मानते हुए कहा गया कि- 'हम उत्साहपूर्वक यह घोषित करते हैं कि वह शिक्षा जिसे हम भारत में विकसित करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यूरोप की कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन का प्रसार करना है। संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है।

वुड घोषणा पत्र का उद्देश्य (Objective of Wood's Despatch)

घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता,जितना कि शिक्षा । यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपलव्य साधनों स भारतीय प्रजा का अपने सम्पर्क (इंग्लैंड के) से वह ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं जिससे कि वे शिक्षा द्वारा भोतिक एवं नैतिक गुणो से सम्न्न हो सके। इस परिदृश्य में वुड डिस्पैच के उद्देश्य निम्न प्रकार से बताये गये--

1.भारतीयों को अंग्रेजी के विज्ञान के वरदान से उन्नत करना ।

2 भारतीयों को शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमताएँ हो नहीं बल्कि उनके नैतिक मूल्यों को भी उच्च बनाना जिससे वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सके।

3. भारतीयों में कम्पनी के कार्यालय, कारखानों में कार्य करने को निपुणता विकसित करना ताकि वे रोजगार, श्रम तथा पूँजी आदि शब्दों से परिचित हो सके तथा श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जा सके।

4. भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं शिक्षण से सुसज्जित करना।

5. भारत में परिमार्जित कला, विज्ञान, दर्शन तथा यूरोपीय साहित्य का प्रसार करना ।

7.3.1 घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें (Main Recommendation of the Wood's Despatch) वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा की संरचना का निर्माण कर लिया गया । इस संरचना में प्रमुख इस प्रकार रखी गयी थी ।
1.शिक्षा का माध्यम--घोषणा पत्र में भारत में शिक्षा के माध्यम के संबंध में भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा को भी स्वीकार किया गया । यूरोपीय ज्ञान के प्रसार भाषाओं को शिक्षा के रूप में साथ साथ देखने की आशा व्यक्त की जाती है ।

2. सहायता अनुदान प्रणाली-सहायता अनुदान प्रणाली के सम्बन्ध में वुड के घोषणा-पत्र विचार व्यक्त किया गया कि हम भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को लागू रखना चाहते हैं, जो कि इस देश में सफलतापूर्वक सम्पादित की गयीं हैं । इस प्रकार इसमें हम स्थानीय संसाधनों की सहायता की भी कामना कर सकते हैं। इससे शिक्षा के प्रसार में तीव्र गति लायी जा सकती है जो कि मात्र सरकारी धन के व्यय से सम्भव प्रतीत नहीं होती है।

बुड ने शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के लिए इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों का पालन करने की सिफारिश की।

1. सरकारी अनुदान प्रदान करने का आधार होगा विद्यालयों में धर्म-निरपेक्ष-लौकिक शिक्षा सुव्यवस्था का होना।

2. उक्त विद्यालय का स्थानीय योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धन ।

3. उक्त विद्यालयों में छात्रों से अल्प शुल्क की व्यवस्था होना ।

4. प्रदत्त सरकारी अनुदान सम्बन्धी नीतियों का अनुपालन तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपलब्धियों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की सुविधा ।

इन नियमों के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी कि नियमों का कठोरता से पालन किया जाये। साथ हो भवन निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकूद, शिक्षण सामग्री, शिक्षकों के वेतन आदि के लिए अनुदान दिया जाय।

3. स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा-सरकारी विद्यालयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होना । धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में इतर धर्मी बालकों के लिए विद्यालय के धर्म को शिक्षा स्वैच्छिक होगी। बाइबल के भी पुस्तकालय में रखकर दिया जाये छात्रों को उसके अध्ययन की स्वाधीनता होंगी।

4. शिक्षण-प्रशिक्षण-घोषणा पत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापना पर बल दिया गया है। शिक्षण व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति, उत्तम वेतन एवं सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाए। इससे सरकारी व्यवसाय की भांति शिक्षा व्यवसाय को भी सम्मान प्राप्त होगा।

5. नारी शिक्षा-नारी शिक्षा प्रदान करने वालों संस्थानों को अधिक प्रयास करने को कहा गया । नारी शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों को सरकारी सहायता हेतु प्राथमिकता दी जाने की सिफारिश की गयी ।

6. विश्वविद्यालयों की स्थापना-घोषणा-पत्र में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गयी। लन्दन विश्वविद्यालय की तर्ज पर इन विश्वविद्यालयों में कुलपति, उपकुलपति तथा अभि-सदस्यों (Fellows) की व्यवस्था हो जो सीनेट का गठन करें। ये विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के

सम्बद्धता प्रदान करें। इन विश्वविद्यालयों में संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषा तथा साहित्य के अध्ययन को व्यवस्था भी हो।

7. जन शिक्षा का प्रसार-जन शिक्षा के प्रसार हेतु डिस्पैच में कहा गया है अब हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर केन्द्रित होना चाहिए जिसकी अभी तक अवहेलना को गयी है। अर्थात् जीवन के सभी अंगों के लिए लाभदायक एवं व्यावहारिक शिक्षा विद्यालय जन समूह को किस प्रकार दी जाय जो किसी सहायता के बिना स्वयं लाभदायक शिक्षा प्राप्त करने के पूर्णतः असमर्थ है।

8. शिक्षा और रोजगार-कम्पनी युग में कम्पनी व्यापार के साथ-साथ शासन भी कर रही थी। वुड डिस्पैच ने इस स्थिति को समझा और अंग्रेजी शिक्षा को नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया । यों अंग्रेजी भाषा नौकरी से जुड़ गयी।

9. शिक्षा प्रशासन-वुड डिस्पैच ने शिक्षा के सुचारू संचालन के लिए जन शिक्षा विभाग (Deptt. of Public Instruction) की स्थापना का सुझाव दिया गया। इस विभाग का स्वोच्च अधिकारी शिक्षा संचालक, उपशिक्षा संचालक, शिक्षा निरीक्षक, सहायक निरीक्षण आदि प्रस्तावित किये गये परिणामस्वरूप शिक्षा का नियंत्रण सरकार के हाथों में आ गया।

10, क्रमबद्ध विद्यालय-वुड डिस्पैच ने शिक्षा की संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया। प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर निर्धारित किये गये।

11. व्यावसायिक शिक्षा-व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए व्यावसायिक संस्थान खोलने की सिफारिश की गयी।

12. प्राच्य विद्या-डिस्पैच में प्राचीन भारतीय साहित्य अरबी फारसी संस्कृत भाषा के अध्ययन विकास के लिए अनुवाद पुस्तक लेख मुद्रण एवं प्रकाशन पर बल दिया।

7.3.2 वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन (Evaluation of Wood's Despatch) चार्ल्स वुड ने शिक्षा की जो योजना प्रस्तुत की, वह वास्तव में श्रेणीबद्ध स्वरूप लेने लगी। वुड ने अपने घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत कार्य। ये परिवर्तन आज के युग में शिक्षा की आधारशिला है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली को वुड के घोषणा पत्र से अलग कर नहीं देखा जा सकता। वुड़ घोषणा पत्र का मूल आधार अंग्रजी साम्राज्य का विस्तार और उसमें भारतीय जनमानस का उपयोग का है। यह उस समय का सुधारवादी कदम नहीं था। अपितु ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तान के लिए सन्वित
प्रयोग था। इस घोषणा पत्र के गुण-दोनों विवेचन इस प्रकार है ।

वुड के घोषणा पत्र में उन सभी तथ्यों पर विचार कर घोषणायें को गर्यो। जिनका सम्बन्ध के मानसिक विकास से था। यह मानसिक विकास कार्य में राजनैतिक तथा साम्माजिक चेतना का

आधार बने । इस धोषणा पत्र के गुण इस प्रकार है।
1. शिक्षा की आधारशिला-कंपनी शासन में शिक्षा के अधिकार पत्र में शिक्षा को श्रेणीबद्ध
व्यवस्थित स्वरूप दिया गया।

2. शिक्षा के उद्देश्य-ब्रिटिश शासन में भारत में शिक्षा के उद्देश्य शासन के हितों के अनुसार निर्धारित किए गए ।

3. उत्तरदायित्व-ईस्ट इण्डिया कम्पनी को शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी बनाया गया।

4. च्यापकता-इस घोषणा पत्र में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक तथा व्यावसायिक चिकित्सा एवं समाज के निम्न वर्गों की शिक्षा पर भी घ्यान दिया गया।

5. पूर्व कार्यक्रमों का निषेध-मैकाले तथा उसके पूर्ववर्ती लोगों नें भारत में शिक्षा की दुर्दशा करने लिए जिन नीतियों, निस्पंदन सिद्धांत, प्राची प्रतीची विवाद जन शिक्षा की उपेक्षा आदि को अपनाया था। वुड डिस्पैच में उन सभी के त्यागने पर बल दिया ।

6. क्रमबद्धता-घोषणा पत्र के अनुसार क्रमबद्ध (Graded) विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा जन प्रसार शिक्षा विश्वविद्यालयी शिक्षा का संगठन इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के अनुसार किया।

7. प्राच्य विद्या अध्ययन-बुड डिस्पैच मैं प्राच्य विद्याओं संस्कृत, अरबी, फारसी के अध्ययन, लेखन, प्रकाशन एवं छात्रवृत्तियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गयी ।

8. शिक्षक प्रशिक्षण-शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति आये इसके लिए नार्मल स्कूलों को स्थापना उत्तम वेतन तथा छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी।

9. अनुदान-घोषणा पत्र में सरकारी नीतियों का अनुपालन करने वाले विद्यालयों के लिए अनुदान तथा सहायता प्रणाली का विकास किया गया।

10. अंग्रेजी रोजगार की भाषा-वुड डिस्पैच में यह स्पष्ट किया गया है कि अंग्रेजी पढ़ने वालों को सरकारी नौकरियों में रखा जाएगा इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी के पठन पाठन में रुचि होने लगी।

वुड डिस्पैच के दोष (Demerits of Wood Despatch)

वुड के घोषणा पत्र में जहाँ अनेक गुण थे वहाँ उसमें कुछ अवगुण भी थे इन अवगुणों के कारण वर्तमान भारतीय शिक्षा अभी तक दोष मुक्त नहीं हो पायी है। ये अवगुण इस प्रकार है।

1. सरकार की अधीनता-प्राचीन काल में शिक्षा स्वतंत्र थी और उसका संचालन समाज द्वारा गयो।

2.शिक्षा का माध्यम--धोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का माध्यम हाई स्कूल तथा उच्च शिक्षा में अंग्रेजी कर दिया गया ।

3.प्राच्य विद्या की अवहेलना--यद्यपि प्राच्य विद्याओं के विकास के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई । किन्तु अंग्रेजी को अधिक प्रोत्साहन देने के कारण प्राच्य विद्या उपेक्षित हो गयी ।

4. धर्म निरपेक्षता-धर्मनिरपेक्ष नीति के कारण हिन्दू तथा मुसलमानों की शिक्षा में पृथकता आ गयी ।

5. अध्यात्म की उपेक्षा-शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष किये जाने से भारतीयों का आध्यात्मिक विकास रुक गया।

६. प्राच्य भाषाओं की उपेक्षा-अंग्रेजी को महत्त्व दिये जाने के कारण संस्कृति, अरबी, फारसी

केवल पाठशालाओं तथा मकतब एवं मदरसों की भाषा रह गयी।

7. शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी-अंग्रेजी को रोजगार की भाषा बना दिये जाने के कारण शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना मात्र रह गया।

8. सरकारी पदों पर नियुक्ति-अंग्रेजी जानने वालों को सरकार में उच्च पदों का नियुक्त किये

जाने से पृथक मानसिकता का विकास होने लगा देशी विद्यालयों में पढ़ने वालों में हीनता का भाव पैदा होने लगा।

9. शिक्षा की विदेशी संरचना-वुड का घोषणा पत्र इंग्लैण्ड में प्रचलित शिक्षा प्रणाली पर आधारित रहा था। इसलिए यह दाँचा भारत को इसलिए स्वीकार करना पड़ा कि यहाँ पर विदेशो शासन पा। आज भी हम उसी ढाँचे के अनुसार कम कर रहे हैं।

10. शिक्षा विभाग की स्थापना से सरकारीकरण-पोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा विभाग को स्थापना हुई। इसका कारण यह हुआ कि शिक्षकों की स्वतंत्रता समाप्त हो गयी और सरकारी आदेशों के अनुसार शिक्षण होने लगा।

11. विश्वविद्यालय-घोषणा पत्र में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना लन्दन विश्वविद्यालय की संरचना के अनुसार हुई। सिनेट वगैरह में अयोग्य व्यक्ति आने लगे।

12. अनुदान के कठोर नियम-वुड डिस्पैच ने विद्यालयों को अनुदान देने को प्रणाली तो लागू को किन्तु अनुदान देने के नियम बहुत कठिन थे इस कारण भारतीयों द्वारा चलायी जा रही संस्थाओं को मुश्किल से अनुदान प्राप्त होता था।

13. ईसाई मिशनरियों को प्रश्नय-मिशनरी द्वारा चलायी जा रही शिक्षण संस्थाओं को ईसाई धर्म प्रसार को जुट थी तथा उन्हें शिक्षण एवं प्रशासन सम्बन्धी अन्य सुविधायें प्राप्त थी।

14. शिक्षा परीक्षा का महत्त्व-शिक्षा परीक्षा प्रधान हो गई थी । इसलिए शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना हो गया था । नौकरियों में भी परीक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाणपत्रों तथा उपाधियों को आधार बनाये जाने लगा।

वुड डिस्पैच को आधुनिक भारतीय शिक्षा को आधारशिला माना जाता है। सर फिलिप होंग (Sir Philip Hartog) के शब्दों में 'वुड डिस्पैच के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा एक शिक्षा नीति का विकास हुआ जिसे भारत अपनी बौद्धिक सम्पदा का अपने हित में उपयोग कर सके।'

सर फिलिप हटोंग की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करते हुए परांजये ने लिखा 'उनका उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हों शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास के लिए हो शिक्षा, मातृभूमि की रक्षा के लिए हो । संक्षेप में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों के लिए हो।

इतना होने पर भी वुड के घोषणा पत्र का भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यापक प्रभाव पड़ा। या प्रभाव आज भी परिलक्षित है। प्रभाव के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार है।

1. प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण दायित्व सरकार का है।

2. शिक्षा का प्रसार भी दायित्व है ।

3. सहायता अनुदान प्रणाली लागू है।

4. कृषक शिक्षा विभागों की स्थापना की गयी।

5. क्रमबद्ध विद्यालयों की निरंतरता बनी हुई है।

6 जन शिक्षा को समाज शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

7. शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण व्यवसाय के लिए अनिवार्य हो गया।

8. वैज्ञानिक अध्ययन पर विशेष बल दिया गया।

वास्तविकता यह है कि बुड डिस्पैच के कारण ब्रिटिश शासन ने शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया।